फैक्स/ई-मेल

पत्र संख्या : 1/वि0–1017/2014–सा0 प्र0–891/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

***

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग
प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग
प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग
प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग
श्री सच्चिदानंद चौधरी,
अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग
श्री कृष्ण कुमार,
अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग
उप सचिव, बिहार राज्य सूचना आयोग

पटना–15, दिनांकः 24 जनवरी,2017

विषयः– उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश एवं गोवा विधान सभाओं के आम निर्वाचन, 2017 हेतु प्रेक्षकों की नियुक्ति के संबंध में ।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–17444 दिनांक–30.12.2016 एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का पत्रांक–06 दिनांक–02.01.2017, पर्यावरण एवं वन विभाग का पत्रांक–272 दिनांक–30.12.2016, खान एवं भूतत्व विभाग का पत्रांक–21 दिनांक–06.01.2017, ऊर्जा विभाग का पत्रांक–24 दिनांक–07.01.2017, श्रम संसाधन विभाग का पत्रांक–100 दिनांक–17.01.2017, बिहार लोक सेवा आयोग का कार्यालय का पत्रांक–424 दिनांक–05.01.2017, स्वास्थ्य विभाग का पत्रांक–20 दिनांक–11.01.2014, बिहार राज्य सूचना आयोग का कार्यालय का पत्रांक–1286 दिनांक–02.01.2017 तथा श्री कृष्ण कुमार, अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग का पत्र दिनांक–06.01.2017.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि संबंधित प्रशासी विभागों में पदस्थापित पदाधिकारियों , जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग की अपेक्षा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा प्रेक्षकों के अलोच्य कार्य हेतु नामित किया गया है, को संदर्भगत प्रशासी विभागों के विभागीय दायित्वों से सम्बद्धता के आधार पर विषयगत कार्य से विमुक्ति हेतु प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हुए थे । श्री सच्चिदानंद चौधरी, अपर सचिव, स्वास्थ्य

विभाग तथा श्री कृष्ण कुमार, अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा भी सदृश अनुरोध वैयक्तिक कारणों (क्रमशः दिनांक–05.03.2017 तथा दिनांक–01.02.2017 को निर्धारित पुत्री की शादी) से समर्पित किये गये थे।

2. आलोच्य प्रस्ताव/अनुरोध पर सांगोपांग विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश निम्वनत है :–

" प्रशासनिक कार्यों से विमुक्ति संबंधी मामलों पर कोई विचार नहीं किया जाना है तथा व्यक्तिगत मामलों से संबंधी विमुक्ति के संबंध में संबंधित पदाधिकारी स्वयं ही निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे।"

3. वर्णित आलोक में अनुरोध है कि विषयाधीन मामलों में कंडिका–02 में निहित आदेश के अनुरूप समुचित कार्रवाई कृपया सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
24/01/2017
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : *1/वि0–1017/2014–सा0 प्र0–* 891 /पटना–15, दिनांक 24 जनवरी,2017

प्रतिलिपि :– श्री राजेन्द्र राम, अपर सचिव–सह– नॉडल पदाधिकारी (निर्वाचन कार्य), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–12 एवं 14, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/01/17
सरकार के अवर सचिव।